राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पहला दिवस [संख्या :1

मंगलवार,

27 मार्च, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.42 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय-गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।

स्वागत

नवनिर्मित विधान सभा भवन में माननीय सदस्यों का स्वागत

श्री अध्यक्ष : मैं, सभी माननीय सदस्यों का विधान सभा के नव-निर्मित भवन में आयोजित सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं।

शपथ एवं प्रतिज्ञान।

अनुरोध/मांग

विद्युत की बढ़ी दरें वापस लेने तथा उस पर चर्चा की मांग

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्षजी, महामहिम की इज्जत रखने के लिए मैंने वाक-आउट नहीं किया लेकिन मेरा यह अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो बिजली की रेट बढ़ायी है, मैं उससे सहमत हूं। खासकर तब जब, मिस्टर स्पीकर, देश में, राजस्थान प्रांत में तीन साल से लगातार अकाल हो, + + + और कंगारूओं की पिटाई हो रही हो, इस देश में सूख पड़ रहा हो, किसान आत्महत्या कर रहे हों। इन परिस्थितियों में जिस तरह से रेट बढ़ायी है उससे न केवल यह मैसेज जाता है कि यह सरकार किसान विरोधी है बल्कि यह भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की, बंगारू लक्ष्मण की और एन. डी. ए. सरकार की आप मदद तो नहीं कर रहे हैं।

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : नहीं, लागू नहीं कर रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि बंगारू लक्ष्मण और जार्ज फर्नांडीस, आज देश में जो तहलका मचा है उससे वैसे प्रत्येक इन्सान और सारे मुद्दे गौण हो गये हैं लेकिन देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको हिन्दुस्तान का आदमी, प्रत्येक नागरिक स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आप अब जाएंगे कैसे ? आपकी तो हालत यह हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी अगर यह बात कहे तहलका के मामले में और देश की सुरक्षा के मामले में तो किसान तो आपकी सुनेंगे नहीं। इससे तो मुझे यह प्रतीत होता है, मुझे शंका है कि अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री जी जब कोटा में आये थे तब उन्होंने जो मुख्य मंत्रीजी की सिफारिश की थी कि अच्छा काम कर रही है और प्रसन्न होकर आपको 50 करोड़ रुपये अकाल राहत के लिए दे भी दिये थे, आप उस चाल में आ गये। आपकी जो प्रशंसा की उससे आपने बिजली के मामले में यह जो रेट बढ़ा दी इससे आपका हथियार कुंद हो गया है और जो एन. डी. ए. सरकार के खिलाफ आपको बात करनी थी देश की सुरक्षा के मामले में, वह आप कह नहीं पायेंगे। आप लोगों के बीच में जा नहीं पायेंगे और लोगों की समस्याओं को फेस नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरा विरोध है। मैं प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी पार्टी की तरफ से घोर भर्त्सना करता हूं और जो बिजली की रेट बढ़ायी है मैं उससे सहमत नहीं हूं, आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की रेट बढ़ायी है जब यह असेम्बली आज शुरू हुई है। (व्यवधान) आप बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : आप बहस करवा लो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बोल लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : दुबारा बोलने का कोई प्रावधान नहीं है क्या ? अपनी बात तो कहेंगे ही। सुनना होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है। अहम् प्रश्न यह है कि ऊर्जा मंत्री ने अखबारों के अन्दर इस बात को डिफेंड किया है कि यह बिजली की रेट बिलकुल सही बढ़ायी गयी है। असेम्बली का सैशन शुरू होने वाला था, असेम्बली के अन्दर आप इसकी घोषणा करते, स्टेटमेंट आता और इस हाउस को कांफिडेंस में लेते तो यह बात समझ में आती थी। तीन साल से राज्य अकाल से त्रस्त है। हाउस को बाई–पास करके आपने रेट बढ़ायी है और उसके बाद लगातार ऊर्जा मंत्री डिफेंड कर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रहे हैं। अभी भी इन्होंने जी टी. वी. को इंटरव्यू दिया है और डिफेंड किया है। तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मैंने महामहिम के भाषण के समय आपको निवेदन कर दिया था कि महामहिम के सम्मान की वजह से हमने कार्यवाही में बाधा नहीं डालने का निश्चय किया है और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर करके वाक आउट कर गये। लेकिन अब हम सदन की कार्यवाही तब तक नहीं चलने देंगे जब तक या तो ऊर्जा मंत्री का स्टेटमेंट आये और वह एक्सप्लेन करे। वे इन रेट्स को वापस लें अन्यथा, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। यह घोर अप्रजातांत्रिक और अन्यायपूर्ण है। पूरे राजस्थान के अन्दर इस वक्त में जरूरत.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप स्पीकर को डिक्टेट नहीं कर सकते और न ही आप आसन को धमकी दे सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात हुई ? आप हमको चैलेंज कर रहे हो। आप दो तो +++ दो की पार्टी और....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो वही कर रहे हैं जो आप लोक सभा में कर रहे हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाउस चलेगा, आप अपने वर्ड्स विदड्रा कीजिये।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी, दो तीन नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : आप तो जनता को चैलेंज कर रहे हो और हम जनहित में बात भी नहीं कहें अपनी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दो–तीन नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : इनके दो के कहने से ही सदन बंद हो जाएगा तो हम क्यों बैठे हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दो के कहने से ही होगा। हम भी हैं, रामस्वरूप जी, इधर देख लो, हम भी हैं। संख्या बल से क्या आप किसानों पर अत्याचार करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की दरें वापस करो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय वह हमारा विरोध महामहिम के सामने था, अब आप आसन पर बैठे हैं, हाउस अब मीट किया है इसलिए हम अपनी बात आसन से कह रहे हैं। आसन के जरिये हम ऊर्जा मंत्री और राजस्थान सरकार को यह कहना चाहते हैं

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कि जब हाउस 27 तारीख को मीट कर रहा था तो दो दिन पहले आपने जिस तरीके से रेगुलेटरी कमीशन के जरिये बिजली की इतनी भारी तादाद के अन्दर, 17–18 प्रतिशत रेट बढ़ायी है... (व्यवधान) यह हाउस की भी आपने अवमानना की है और हाउस को बाई–पास किया है। (व्यवधान) और आज भी माननीय ऊर्जा मंत्रीजी बराबर अखबारों में यह कहते आ रहे हैं कि बिजली की दरें नहीं बढ़ायी जाएंगी। आप भी एक किसान के घर में पैदा हुए हो... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : नियम के तहत आप नहीं बोल रहे हैं। मेरा भी विनम्र निवेदन है, आपकी दिल्ली की सरकार ने लगातार डीजल की कीमतें बढ़ायीं, उस समय माननीय सदस्य क्यों नहीं बोले। किसानों के साथ अन्याय दिल्ली की सरकार ने किया और किसानों का गला घोंट दिया। खाद की कीमत बढ़ायी, बीज की कीमत बढ़ायी, डीजल के भाव बढ़ाये, लगातार दिल्ली सरकार कीमतें बढ़ाती चली जा रही है, सारे किसान दिल्ली की सरकार को आज +++ मैं तो माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो फ्लैट रेट है आपकी, स्पष्ट करें कि आपने क्या...

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने विश्व बैंक के दबाव में किया है। ऐसा का ऐसा समझौता लालबहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद में हुआ था। फर्क इतना–सा है कि लालबहादुर शास्त्री एक स्वाभिमानी आदमी थे, उनकी बातें... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : फ्लैट रेट को आपने खतम किया या नहीं किया ? किसानों में भ्रम है इस बात का, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, फ्लैट रेट के बारे में...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह किसान का बेटा बनने वाले ऊर्जा मंत्रीजी ने किसानों के साथ कुठाराघात किया है, गरीब जनता के साथ जो अन्याय किया है यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री रामस्वरूप : मीटर और फ्लैट रेट जो आपने किया, इसको स्पष्ट करें।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया कि विद्युत की दरों को बढ़ाने में हाउस को बाई–पास किया गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बिलकुल किया गया है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इसी हाउस ने राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म्स बिल, 1999 को पारित किया। एक्ट बना...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : संख्या के आधार पर पारित किया गया।

डा. चन्द्रभान : एक्ट के अन्तर्गत आज बिजली की दरें बढ़ाने का अधिकार विद्युत विनियामक आयोग को है, राज्य सरकार को नहीं है। विद्युत विनियामक आयोग ने पूरे राजस्थान से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सुनने के बाद में फैसला किया है। इसलिए हाउस को बाई–पास करने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : बिल पास हुआ है संख्या के बल पर। राजस्थान सरकार बात कर रही है। आपने और दिल्ली की सरकार ने... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बार–बार राजस्थान की जनता को यह धोखा दिया कि रिफार्म्स बिल से अनइन्ट्रप्ट बिजली मिलेगी, रेट कोई नहीं बढ़ेगी। पावर रिफार्म्स बिल जिसका हवाला दे रहे हैं मंत्रीजी, उस समय बार–बार मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि पावर रिफार्म्स बिल से कोई रेट नहीं बढ़ेगी और यह पास, डेढ़ साल में....

डा. चन्द्रभान : यह कभी नहीं कहा गया कि दरें कभी नहीं बढ़ेंगी। आप क्या बात करते हो, वेस्ट बंगाल में क्या दरें हैं आज ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह वादाखिलाफी...(व्यवधान) आप किस बात के लिए ले सकते हैं ? राजस्थान का किसान अकाल से मर रहा है, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई से उसकी फसल मारी जा रही है और आप इस बात के लिए... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : संख्या बल के आधार पर फैसला करते हो। + + + और राजस्थान की सरकार संख्या बल के आधार पर किसानों के साथ अन्याय कर रही है, गरीब जनता पर कुठाराघात कर रही है, दोनों जन विरोधी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : किसान विरोधी सरकार ने जो अपना नमूना पेश किया, आप कहते थे, बार–बार आपने विज्ञापन छपवाये कि यह लोग गुमराह कर रहे हैं, कोई रेट नहीं बढ़ेगी और आज कह रहे हैं कि रेट बढ़ानी जरूरी है। देश–प्रदेश से उद्योगपतियों से कहीं भी रिफार्म्स बिल में मांग नहीं की गई कि हमारी रेट कम की जाए लेकिन उनकी तो कम की जाएगी और जो किसान तीन साल से अकाल से जूझ रहा है, उसका मूल्य उसको नहीं मिल रहा है, उसकी तीन गुणा और चार गुणा रेट आपने की है। 37 रुपया फ्लैट रेट थी, शहरी किसानों को 175 रुपया देनी पड़ेगी। यह बढ़ोतरी नहीं है ? 37 से 175 रुपये।

डा. चन्द्रभान : शहरों में कौन सा किसान होता है ? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, आपने फ्लैट रेट और मीटर रेट को खतम कर दिया क्या ? मंत्रीजी स्पष्ट करें, क्या आपने फ्लैट रेट खतम कर दी।

श्री अमराराम (धोद) : कितना गुणा बढ़ायी ? इसलिए यह कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैंने कभी यह नहीं कहा कि रिफार्म्स बिल के बाद में दरें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मैंने कहा, दरें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। इन्होंने कहा कि 70 पैसे की जगह 7 रुपये हो जाएंगे। केवल 20 पैसे दर बढ़ी। आज वेस्ट बंगाल में कृषि की दरें एक रुपया बत्तीस पैसे है। जवाब है क्या आपके पास ?

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या बातें कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप + + + बोल रहे हैं। 37 रुपये की फ्लैट रेट 175 रुपये हुई है, 175 रुपये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज जोर से बोलकर इस सदन को गुमराह नहीं कर सकते, ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री अमराराम (धोद) : वह 175 रुपये हुई है।

डा. चन्द्रभान : 85 रुपये, फ्लैट रेट केवल 85 रुपये है, 60 रुपये की जगह 85 रुपये। गुजरात में जो 40 रुपये... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कितनी गुणा हो गई ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : केवल 85 रुपये है।

श्री अमराराम (धोद) : पांच गुणी रेट अध्यक्ष महोदय। 43 रुपये से 175 रुपये, पांच गुणी रेट हुई है। न बंगाल में है, न आंध्र प्रदेश में है, + + + बोल रहे हैं। आप जहां बंगाल और आंध्र प्रदेश की कह रहे हैं, एक एच. पी. की सालाना 450 रुपये है जबकि राजस्थान में आज की तारीख में जो जनरल जो ग्रामीण हैं उनके 1,020 रुपये सालाना एक एच. पी. का हो गया, डबल से भी ज्यादा। और बंगाल, आंध्र प्रदेश, + + +

डा. चन्द्रभान : आप तो बंगाल वाली दर बता दीजिये। एक रुपया बत्तीस पैसा पर यूनिट नहीं है क्या बंगाल में ? जवाब दीजिये इसका।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह दे दीजिये, बंगाल की बात छोड़िये, आपने तो राजस्थान में 43 रुपये से 175 रुपये किया है या नहीं किया है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तमिलनाडु की बात करें। तमिलनाडु की बात क्यों नहीं करते जहां किसान को फ्री बिजली दी जाती है। बंगाल की बात कौन कर रहा है ? आप उन राज्यों की बात क्यों नहीं

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

करते जहां किसान को फ्री बिजली दी जा रही है।

डा. चन्द्रभान : हम फ्री बिजली नहीं दे सकते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हरिदेवजी जोशी की सरकार ने दो पैसे यूनिट बिजली की दर बढ़ायी थी तब डा. चन्द्रभानजी, आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी, आपके झुंझुनूं जिले में बालूराम शहीद हुआ था और आज आप 17 पैसे बढ़ा रहे हैं। आप भूल गये ? आज मिनिस्टर बनने के बाद आप किसान को भूल गये, आप गरीब को भूल गये, आप गांव को भूल गये, आपको सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है। आप कुर्सी के लालच में भूल गये उस बात को, जब आपने आंदोलन चलाया था खुद ने।

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। उद्योगों के अंदर भी 18 से 23 पैसे बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है।

श्री जगत सिंह दायमा : पूरे देश और राजस्थान के अंदर...

डा. चन्द्रभान : केवल 20 पैसे की वृद्धि हुई है। फ्लैट रेट में केवल 25 रुपये की वृद्धि हुई है। यह गुमराह कर रहे हैं हाउस को यहां पर। आप क्या शहरों की बात कर रहे हो, शहरों में कौन सा किसान होता है।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, स्पष्ट करें, क्या आपने फ्लैट रेट की जगह मीटर चालू कर दिये ? माननीय मंत्रीजी, यह स्पष्ट करें कि क्या आपने फ्लैट रेट खतम कर दी और मीटर अनिवार्य कर दिये ? माननीय मंत्रीजी, यह स्पष्ट करें, आपने फ्लैट रेट खतम कर दी क्या, मीटर खतम कर दिये, कर दिये या मीटर आपने रखे, फ्लैट रेट खतम कर दी, स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : गुमराह तो आप हो गये। किस लालच में हुए, यह तो आप जानें, किस भ्रम में, किस लालच में आप भ्रमित हुए हैं। आठ घंटे की घोषणा आपकी दो घंटे में चली गई। आपके विद्यार्थी जो हैं, जो राजस्थान में परिस्थितियां चल रही हैं, किसी भी गांव में रात को लाइट नहीं आती और 43 रुपये से 175 रुपये करें, 43 से 175 रुपये होंगे...

श्री जगत सिंह दायमा : साहूकार बनकर किसानों को लूटना चाह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : + + + राजस्थान के किसान के सामने आप बात कर रहे हैं, कोई राइट नहीं है आपको।

श्री जगत सिंह दायमा : देश में तहल्का मचा हुआ है।

श्री रामस्वरूप : फ्लैट रेट और मीटर के बारे में स्पष्ट करें। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : एक तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठकर जनता को लूटने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है और आप साहूकार बनकर किसानों को लूटने का काम कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : बिजली और बिजली की जो टेरिफ बढ़ी है, इस संबंध में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, कार्य सलाहकार समिति में विचार करके इस पर चर्चा करा दी जाएगी। चर्चा करा दी जाएगी इस पर। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसको कहें ? वहां पर केन्द्र सरकार यह कह रही है, हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, हमारी सरकार को गिराकर बताओ, हमारी संख्या लोक सभा में ज्यादा है।

डा. चन्द्रभान : आसन ने कह दिया, चर्चा हो जाएगी इस पर।

श्री जगत सिंह दायमा : आप कह रहे हैं कि हमने नियामक आयोग को लागू किया, प्रस्ताव पास किया...

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, बैठिये अब। कह दी आपने अपनी बात।

श्री जगत सिंह दायमा : संख्या बल के ऊपर। नहीं तो हमने पहले भी कहा था, यह नियामक आयोग न आपको छोड़ेगा, न हमको छोड़ेगा, न जनता को छोड़ेगा। आज आपका प्रतिनिधि नहीं, पूरी सरकार यह चाहती थी कि यह अभी से रेट नहीं बढ़ायी जाए। मुझे मालूम पड़ा है, पर्सनली मैं मंत्रियों से मिला हूं, फिर कहते हैं नहीं, नियामक आयोग का अध्यक्ष यह कहता है, सरकार की बात नहीं मानूंगा। सरकार की बात नहीं मानूंगा। + + + कि आपने ऐसे आयोग का यहां गठन कर दिया, मान्यता दे दी राज्य में, जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारा क्या है यह ? क्या जनता...

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, बैठिये।

श्री जगतसिंह दायमा : किसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, इसलिए कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। पहले किसानों की बात, उनके हक की बात होनी चाहिए और उसके बाद में कोई कार्य होना चाहिए। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : आज मनुवादी व्यवस्था नहीं है, यह बहस हो रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी–अभी ऊर्जा मंत्रीजी ने कहा कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, प्रतिपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप जनता को गुमराह करके इस सत्ता में बैठे हैं। आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 35 पैसे के हिसाब से आठ घंटे बिजली...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. चन्द्रभान : नहीं लिखा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने जनता को गुमराह नहीं किया क्या ? आप जनता को गुमराह करके सत्तासीन नहीं हुए क्या ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : घोषणा पत्र में यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसानों को 37 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाएगी। आप दोबारा हाउस को गुमराह कर रही हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 37 पैसे पर यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली दी जाएगी। क्या बात कर रही हैं। नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : घोषणा पत्र को पढ़ो।

डा. चन्द्रभान : ले आओ, पढ़ाओ आप। बातें कर रही हैं आप। (व्यवधान) नो, नर्सरी को बंद करेंगे, यह लिखा हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बालूराम याद कर रहा है आपको, बालूराम। बालूराम याद कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इस पर चर्चा करा दी जाएगी सदन के अंदर, आपको अवसर मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार यह घोषणा नहीं करेगी कि बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस ली जा रही हैं तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि Power Minister is more than eager to make the statement. आपने भी इसको आब्जर्व किया है कि वह बड़े व्यग्र हैं स्टेटमेंट देने के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, वह दें पहले।

(13.00बजे)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं, शोकाभिव्यक्ति आपने रखी है, उसमें बिलकुल शालीनता से सब को पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप पेपर्स ले करने का जो प्रोग्राम है वह पोस्टपोन कीजिये। पावर मिनिस्टर ने यह कहा कि नियामक आयोग ने बढ़ाया है। उन्होंने लगातार डिफेंड किया है, हाउस में डिफेंड कर रहे हैं, लगातार इण्ट्रप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई इग्नोर किया हो। हमारे साथ में पार्टीसिपेट कर रहे हैं डिबेट में तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप दूसरा कोई बिजनेस नहीं लें, शोकाभिव्यक्ति का बिजनेस तो आप निबटा दें आज और इसको आप पोस्टपोन करें। कल पहला जो आइटम है वह यह होना चाहिए कि पावर मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो। यह एक ऐसा इश्यू है, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि आप दो–तीन पार्टी के लोग चैलेंज देते हो। हम आपको

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चैलेंज नहीं दे सकते, हम संख्या बल में बहुत कम हैं, राजस्थान की जनता आपको चैलेंज देती है, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब, किस भरोसे बैठे हो आप। आप होंगे 153, चार करोड़ जनता आपको चैलेंज दे रही है। पूरे राजस्थान का किसान आपको चैलेंज दे रहा है। आप कर लोगे राज, यह 153 आपको आड़े नहीं आएंगे अगर आप इस तरह से पावर टेरिफ बढ़ा करके अनजस्टिफाई तरीके से... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनता का फैसला अपन देख लेंगे और मंत्रीजी अपना स्टेटमेंट जब भी आप तय करेंगे, दे देंगे उसमें क्या दिक्कत है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, तो आप देओ न स्टेटमेंट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, तो आप विराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप स्टेटमेंट देओ न फिर। अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आप दूसरा कोई बिजनेस नहीं लें आज। शोकाभिव्यक्ति का बिजनेस लें और बाकी कल। क्योंकि यह एक ऐसा बहुत गम्भीर और शालीनता का विषय है कि इस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यह ले लें, हमारा सबका कर्तव्य है कि हम इसमें पार्टीसिपेट करें। यह बिजनेस पोस्टपोन करें। पेपर्स ले कल भी हो जाएंगे, 5 मिनट का काम भी नहीं है। पहले इनका स्टेटमेंट आए और कल होगा वह बिजनेस।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री जसवन्त सिंह माली) : श्री नाथू लाल गुर्जर, हिण्डौली।

(अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :–

(1) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2000

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2000

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या–5) विधेयक, 2000

(सचिव, राजस्थान विधान सभा)

(4) राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000

(5) कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2000

(6) राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता, विधेयक, 2000

(7) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000

(8) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

(9) राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

एक माननीय सदस्य :...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, जब तक बिजली की दरों को कम नहीं किया जाएगा तब तक हाउस को नहीं चलने दिया जाएगा।

प्रतिवेदन एवं लेखे

गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक (1999-2000) प्रतिवेदन

श्री प्रद्युम्न सिंह (आबकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) 3 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 50वां वार्षिक (1999-2000) प्रतिवेदन

लोकायुक्त का विशेष प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकारक ज्ञापन

-श्री गजेन्द्र सिंह, आर. ए. एस., तत्कालीन प्रशासक, नगर निगम कोटा एवं डा. योगेन्द्र लोहमी, -आयुक्त के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 एवं लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (3) के अन्तर्गत माननीय लोकायुक्त का विशेष प्रतिवेदन–श्री गजेन्द्र सिंह, आर. ए. एस. तत्कालीन प्रशासक नगर निगम, कोटा एवं डा. योगेन्द्र लोहमी, आयुक्त के विरुद्ध श्रीमती राजकुमारी सिंह की वार्डन के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति कर अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप के संबंध में तथा धारा 12 (5) के अन्तर्गत उस पर स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

(सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

प्रतिवेदन एवं लेखे

-राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक(1998-1999) प्रतिवेदन
-सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 35वां वार्षिक(1999-2000) प्रतिवेदन

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 एवं राजस्थान राज्य विद्युत (प्रदाय) नियम, 1963 विनियम 33 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998–1999 एवं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन।

-जल विकास निगम का 16वां वार्षिक (1999-2000) प्रतिवेदन,
-भण्डार व्यवस्था निगम का 42वां वार्षिक (1999-2000) प्रतिवेदन,
-एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का 30वां वार्षिक (1998-1999) प्रतिवेदन एवं लेखे,
-बीज निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक (1999-2000) प्रतिवेदन

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन की धारा 114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000, भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए के अंतर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1998–1999 एवं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

डेयरी विकास निगम लिमिटेड का 25वां वार्षिक (1999-2000) प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रृद्धांजलि

श्री सी. सुब्रमण्यम, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र, श्री जे. एच. पटेल, पूर्व मुख्य मंत्री, कर्नाटक, श्री सचिन्द्र लाल सिंघा, पूर्व मुख्य मंत्री, त्रिपुरा तथा पूर्व सदस्य सर्वश्री रामकंवार बैरवा, गोवर्धनलाल गूजर, जगदीश चन्द्र शर्मा, शांतिलाल कोठारी, रामप्रसाद लड्ढा, रामसहाय, तेजमल बाफना, मनरूप राम परिहार, प्रभूदयाल के निधन पर एवं गुजरात में 26 जनवरी, 2001 को आए भूकम्प में मारे गये व्यक्तियों के प्रति

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

(नारेबाजी)

श्री बुलाकी दास कल्ला : शोकाभिव्यक्ति हो रही है। यह परम्परा नहीं है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल डा. सी. सुब्रमण्यम, कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जे. एच. पटेल, त्रिपुरा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सचिन्द्र लाल सिंघा तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामकंवार बैरवा, श्री गोवर्धन लाल गूजर, श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, श्री शांतिलाल कोठारी, श्री रामप्रसाद लड्ढा, श्री रामसहाय, श्री तेजमल बाफना, श्री मनरूप राम परिहार, श्री प्रभूदयाल तथा गुजरात की भूकम्प त्रासदी में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल डा. सी. सुब्रमण्यम का जन्म 30 जनवरी, 1910 को तमिलनाडु के पोलाची ग्राम में हुआ। आपने कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

डा. सी. सुब्रमण्यम तीसरी लोक सभा के लिए वर्ष 1962 में कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए और कई वर्षों तक केन्द्रीय मंत्री रहे। कृषि मंत्री के रूप में आपने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने हेतु उल्लेखनीय कार्य किया इसलिए आपको "हरित क्रान्ति का जनक" माना जाता है।

डा. सी. सुब्रमण्यम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कई बार जेल यात्राएं कीं। आप संविधान सभा और अंतरिम संसद के सदस्य रहने के बाद 1952 से 1957 तक मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे डा. सी. सुब्रमण्यम वर्ष 1990 से 1993 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

अनेक पुस्तकों के लेखक डा. सुब्रमण्यम ने राजनीति से निवृत्त होकर "भारतीय विद्या भवन संस्थान" के अध्यक्ष का पदभार सम्भाला और पूर्णतः सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमों से जुड़ गए। विभिन्न क्षेत्रों

(श्री अध्यक्ष)

में समर्पित भाव से किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए आपको "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया।

डा. सी. सुब्रमण्यम का दिनांक 7 नवम्बर, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद तथा कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जे. एच. पटेल का जन्म 11 अक्टूबर, 1930 को दावणगेरे (पूर्व शिमोगा) जिले के करिंगानूर ग्राम में हुआ। आपने बी. ए., एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जे. एच. पटेल वर्ष 1967 में चौथी लोक सभा के लिए शिमोगा संसदीय क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए। आपने छठी, सातवीं, आठवीं तथा दसवीं कर्नाटक विधान सभा में चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा कर्नाटक सरकार में मंत्री पद पर आसीन रहते हुए कई विभागों के दायित्वों का निर्वाह किया। आप वर्ष 1994 से 1996 तक कर्नाटक के उप मुख्य मंत्री तथा वर्ष 1996 से जुलाई, 1999 तक कर्नाटक के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे।

विनोदप्रियता के लिए प्रसिद्ध रहे समाजवादी नेता, श्री जे. एच. पटेल ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गये। श्री राममनोहर लोहिया को अपना गुरु मानने वाले श्री पटेल जय प्रकाश नारायण के समर्थक थे। आपने "कागोडू किसान आंदोलन" में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री जे. एच. पटेल का दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद तथा त्रिपुरा के प्रथम मुख्य मंत्री श्री सचिन्द्र लाल सिंघा का जन्म 6 अगस्त, 1907 को अगरतल्ला में हुआ। आपने उमाकांत अकादमी तथा विक्टोरिया कालेज, कोमिल्ला, बंगलादेश से शिक्षा प्राप्त की।

श्री सिंघा अपने छात्र जीवन में ही 'जुगान्तर विप्लवी' संगठन से सम्बद्ध होकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गये और कई बार जेल भी गये। आपने त्रिपुरा में राजशाही के विरुद्ध भी आंदोलन किया। स्वतंत्रता के बाद आपने वर्ष 1952 में त्रिपुरा के शासन के लिए गठित सलाहकार परिषद में प्रतिनिधित्व किया। आप वर्ष 1957 में गठित त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद के चेयरमैन नियुक्त किये गये तथा विधान सभा चुनावों के बाद जुलाई, 1963 में आप त्रिपुरा के प्रथम मुख्य मंत्री बने। आप वर्ष 1967 से नवम्बर, 1971 तक पुनः मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे।

छठी लोक सभा में त्रिपुरा के सांसद रहे श्री सिंघा 10 वर्ष से भी अधिक समय तक त्रिपुरा राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आप लम्बे समय तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के विभिन्न पदों पर रहे

(श्री अध्यक्ष)

श्री सिंघा कृषकों, हरिजनों एवं आदिवासियों के उत्थान हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री सचिन्द्र लाल सिंघा का दिनांक 8 दिसम्बर, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद तथा विधायक श्री रामकंवार बैरवा का जन्म 15 सितम्बर, 1933 को जयपुर जिले की फागी तहसील के ग्राम कौशल्यादास की बावड़ी पहाड़िया में हुआ।

श्री रामकंवार बैरवा सातवीं राजस्थान विधान सभा (1980–1985) के लिए फागी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति (ख) के सदस्य रहे।

इससे पूर्व आप पांचवीं तथा छठी लोक सभा में टौंक संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहे। लोक सभा में आप राजकीय उपक्रम समिति, आश्वासन समिति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, आवास समिति तथा कृषि सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

आप राजस्थान विकास परिषद् के मंत्री, जिला लोक दल के अध्यक्ष, प्रदेश जनता पार्टी के सदस्य, अखिल भारतीय लोक दल की कार्यकारिणी के सदस्य तथा राजस्थान प्रदेश जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे।

समाज सुधार, महिला प्रगति तथा हरिजनोत्थान में विशेष रुचि रखने वाले श्री बैरवा समाज सेवक के रूप में सक्रिय रहे। आप बैरवा महासभा, फागी एवं जिला जयपुर के अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय बैरवा समाज के संस्थापक रहे।

श्री रामकंवार बैरवा का दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री गोवर्धन लाल गूजर का जन्म 3 मई, 1951 को टौंक जिले के इस्लामपुरा ग्राम में हुआ। आपने बी. ए., एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गोवर्धन लाल गूजर छठी राजस्थान विधान सभा के लिए टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप वर्ष 1977–78 में अनुसूचित जनजाति कल्याण समितिं के सदस्य रहे।

अपने छात्र जीवन में जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद, एन. सी. सी. तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अग्रणी रहे श्री गूजर स्कूल छात्र परिषद के भी सदस्य रहे। पेशे से वकील रहे श्री गोवर्धन लाल गूजर की जनहित कार्यों तथा सांस्कृतिक उत्थान में भी रुचि रही।

श्री गोवर्धन लाल गूजर का दिनांक 4 नवम्बर, 2000 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री जगदीश चन्द्र शर्मा

(श्री अध्यक्ष)

का जन्म 20 जून, 1938 को चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे में हुआ। आपने बी. ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा छठी राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1977 में रतनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए।

रतनगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष रहे श्री शर्मा अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। पत्रकारिता में आपकी विशेष रुचि रही। आपने अनेक पाक्षिक पत्रों का सम्पादन किया। आप राजस्थान भाषा के पाक्षिक प्रकाशन "हैलो" से भी सम्बद्ध रहे। आपने अनेक बार जेल यात्राएं भी कीं।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा का दिनांक 25 फरवरी, 2001 को निधन हो गया।

स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद तथा विधायक श्री शांतिलाल कोठारी का जन्म 3 अक्टूबर, 1924 को आबू रोड में हुआ। आपने एम. ए. (राजनीति विज्ञान) तथ एम. एससी. (अर्थशास्त्र) की उपाधिया प्राप्त कीं।

श्री शांतिलाल कोठारी पांचवीं राजस्थान विधान सभा (1972–77) के लिए सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप वर्ष 1964 से 1970 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। आप वर्ष 1968 से 1970 तक संसद की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

श्री कोठारी वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दो बार गिरफ्तार किये गये तथा क्रमशः अजमेर और पूना की यरवदा जेल में रखे गये। वर्ष 1968 में आपने संयुक्त राष्ट्र की 23वीं आम सभा में भारतीय प्रतिनिधि ा के रूप में भाग लिया।

सार्वजनिक सेवा तथा लेखन में विशेष रुचि रखने वाले श्री कोठारी ने अनेक पुस्तकें लिखीं। विदेश नीति पर प्रकाशित पुस्तक "इण्डियाज इमरजिंग फोरेन पालिसी" के लिए आपको "मेरी कीटिंग–दास अवार्ड" से सम्मानित किया गया।

श्री शांतिलाल कोठारी का दिनांक 14 नवम्बर, 2000 को निधन हो गया।

राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री रामप्रसाद लड्ढा का जन्म 1 जून, 1917 को भीलवाड़ा जिले के हुरड़ा ग्राम में हुआ। आपने बी. ए., एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा दूसरी, तीसरी तथा चौथी राजस्थान विधान सभा के लिए क्रमशः शाहपुरा, जहाजपुर तथा भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप फरवरी, 1964 से मार्च, 1967 तक सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर आसीन रहे। आप वर्ष 1962 से 1966 तक राजस्थान सरकार में उप मंत्री तथा वर्ष 1966 से 1971 तक विभिन्न विभागों में

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री रहे।

आप सेवा संघ, बीगोद, म्यूनिसिपल बोर्ड, भीलवाड़ा तथा जिला सहकारी यूनियन, भीलवाड़ा सहित अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे श्री रामप्रसाद लड्ढा की समाज सेवा तथा जनहित कार्यों में विशेष रुचि रही।

श्री रामप्रसाद लड्ढा का दिनांक 19 जनवरी, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री रामसहाय का जन्म 1 जनवरी, 1924 को लालसोट तहसील के ग्राम डूंगरपुर में हुआ।

श्री रामसहाय तृतीय राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1962 में हुए आम चुनावों में लालसोट निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक चुने गये। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

ग्राम पंचायत, डूंगरपुर के सरपंच रहे श्री रामसहाय की कृषि एवं गौ–पालन में रुचि रही।

श्री रामसहाय का निधन दिनांक 17 मार्च, 2001 को हो गया।

पूर्व विधायक श्री तेजमल बाफना का जन्म 7 दिसम्बर, 1916 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने बी. ए. एवं एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त की।

श्री तेजमल बाफना प्रथम एवं द्वितीय राजस्थान विधान सभा में क्रमशः भीलवाड़ा एवं बनेड़ा से कांग्रेस के विधायक रहे। आप वर्ष 1950 से 1954 तक तथा वर्ष 1958 में जिला कांग्रेस कमेटी, भीलवाड़ा के सैक्रेटरी रहे। आप वर्ष 1953–54 में राजस्थान विधान सभा कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे। श्री बाफना वर्ष 1939 से 1943 तक उदयपुर राज्य की नौकरी में रहे तथा बाद में वर्ष 1948 तक जिला बोर्ड के सैक्रेटरी रहे। वर्ष 1951 में आप म्यूनिसिपल काउन्सलर भी चुने गये।

पेशे से वकील रहे श्री बाफना पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा महिला शिक्षा के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। आप अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री तेजमल बाफना का दिनांक 7 मार्च, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री मनरूप राम परिहार का जन्म 28 जनवरी, 1928 को पाली जिले के गजनीपुर ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मनरूप राम परिहार दूसरी राजस्थान विधान सभा (1957–62) के लिए खारची निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान तथा पिछड़े वर्गों के

(श्री अध्यक्ष)

हितों के संरक्षण हेतु सदैव संघर्षरत रहे। श्री परिहार की समाज सेवा तथा दलित वर्ग के उत्थान में विशेष रुचि रही।

श्री मनरूप राम परिहार का दिनांक 7 फरवरी, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री प्रभूदयाल का जन्म 6 अगस्त, 1924 को हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री प्रभूदयाल वर्ष 1952 में प्रथम विधान सभा के लिए चूरू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव सक्रिय रहे। दलित वर्ग के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे श्री प्रभूदयाल की दस्तकारी एवं चित्रकारी में विशेष रुचि रही।

श्री प्रभूदयाल का दिनांक 15 अक्टूबर, 2000 को निधन हो गया।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी, 2001 को प्रातः लगभग पौने नौ बजे देश के अनेक राज्यों में भूकम्प के झटके महसूस किये गये। इस विनाशकारी भूकम्प में गुजरात में जन–धन की भारी हानि हुई। हजारों की संख्या में लोग मारे गये तथा हजारों मकान धराशायी होने से बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गये। इस भीषण भूकम्प का केन्द्र कच्छ जिले के भुज के आसपास था जहां सर्वाधिक लोग मारे गये।

मैं, इस प्राकृतिक आपदा में मारे गये व्यक्तियों तथा अन्य दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक–संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की)

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.24 बजे बुधवार, 28 मार्च, 2001 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति)

माननीय सदस्यगण,

ग्यारहवीं विधान सभा के षष्ठम सत्र में इस नवनिर्मित भवन में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

2. आपको याद होगा कि मैंने 23 मार्च, 2000 को विधान सभा के बजट सत्र में अभिभाषण में कहा था कि नये भवन का निर्माण कार्य मार्च, 2001 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने भवन का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया है और उसी के फलस्वरूप आज हम आधुनिक सुविधाओं तथा राजस्थानी स्थापत्य, कला एवं संस्कृति को समावेश किए हुए इस भवन में उपस्थित हैं।

3. राजस्थान अपनी गौरवशाली परम्पराओं के लिए विख्यात रहा है। यहां के लोग अपने कर्त्तव्यों के प्रति सदा ही सजग रहे हैं।

4. गुजरात में आये भूकम्प के समय राजस्थान सरकार और प्रदेश के लोगों ने सबसे पहले पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। गुजरात के अपने भाई बहनों की सहायता करने का जिम्मा लिया। संकट की उस घड़ी में, मैं स्वयं, माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय विपक्ष के नेता गुजरात के दौरे पर गये और वहां की सरकार को राहत और बचाव कार्यों के लिए राज्य सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से हर सम्भव सहयोग व सहायता प्रदान करने का विश्वास दिलाया। इस त्रासदी के समय सहयोग के हाथ बढ़ाने वाले सभी भाई बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं।

5. विषम वित्तीय परिस्थितियों और निरन्तर तीसरे वर्ष भीषण सूखे की स्थिति के कारण राज्य सरकार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने हर स्तर पर अपने खर्च में कमी की है और वित्तीय अनुशासन को सख्ती से लागू किया है, इससे राज्य सरकार के मजबूत एवं पक्के इरादों का पता चलता है।

6. पिछले दो वर्षों के मुकाबले इस वर्ष सूखे की भीषणता और भी अधिक है जबकि राज्य के 31 जिलों के 30 हजार 5 सौ 83 गांव सूखे की चपेट में हैं और लगभग 3 करोड़ 30 लाख जनसंख्या एवं 4 करोड़ पशुधन प्रभावित हैं।

7. राज्य सरकार ने सीमित साधनों के बावजूद जनता को राहत पहुंचाने में पिछले दो वर्षों में राहत कार्यों पर लगभग 1200 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पिछले वर्ष 2496 चारा डिपो खोलकर

27 लाख क्विंटल चारा वितरित किया गया जबकि 1204 टैंकरों के माध्यम से 2934 गांवों में पेयजल पहुंचाया गया। कुछ स्थानों पर रेल द्वारा भी पेयजल का परिवहन किया गया। राज्य सरकार ने राहत कार्यों के संचालन हेतु नाबार्ड से 125 करोड़ रुपये का ऋण लेकर भूजल संरक्षण, सड़क एवं स्कूल निर्माण के कार्य हाथ में लिए। राज्य सरकार का यह प्रयास रहा कि अकाल राहत के तहत ऐसे स्थायी प्रकृति के कार्य कराये जायें जो राज्य के आधारभूत ढांचे का विस्तार करते हुए राज्य के विकास में योगदान दे सके। इस प्रकार अकाल को विकास में बदलने का अनूठा व सफल प्रयोग किया गया।

8. इस वर्ष सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने हेतु 15 दिसम्बर, 2000 से पेयजल परिवहन एवं चारा व्यवस्था का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अकाल राहत कार्य 15 जनवरी, 2001 से प्रारम्भ कर दिये गये हैं। मार्च, 2001 में 5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की सीमा निर्धारित की गई है। आगामी महीनों में जरूरतमंदों के लिए आवश्यकतानुसार श्रमिक सीमा निर्धारित की जायेगी। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गई है कि श्रमिकों को पखवाड़ा समाप्ति के 10 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाये।

9. सूखे के स्थायी समाधान को ध्यान में रखते हुए अकाल राहत कार्यों में जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बरसात के पानी का समुचित उपयोग किया जा सके। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशु संरक्षण के लिए चारे व पेयजल की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

10. राहत गतिविधियों में सरकारी प्रयासों के साथ–साथ गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा पेयजल व पशु संरक्षण का कार्य हाथ में लिया जाकर सहयोग किया जा रहा है।

11. पेयजल राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या रही है लेकिन राज्य सरकार ने अपने उपलब्ध संसाधनों से इस समस्या का पूर्ण रूप से निदान करने का बीड़ा उठा रखा है। सूखे के कारण प्रदेश की शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य के सतही पेयजल स्रोतों विशेष कर जवाई, पिछौला, फतेहसागर, राजसमन्द, मेजा, रामगढ़ जैसे बांधों में पानी की आवक नगण्य रही, लेकिन ग्रीष्मकाल में आम जनता को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक कार्य योजना बनाकर चरणबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है।

12. आने वाली गर्मी में स्थिति से निपटने के लिए 210.90 करोड़ रुपये की आपात–

कालीन योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से 6050 हैण्ड पम्प तथा 910 नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है। धौलपुर और भरतपुर जिलों के खारे पानी वाले 212 गांवों और भरतपुर शहर को चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में 166.50 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है।

13. राज्य में पेयजल के परम्परागत स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु राजीव गांधी नेशनल पेयजल मिशन के तहत 12576 कुओं और बावड़ियों के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस मिशन के तहत 5487 कार्य शुरू किये गये हैं, इनमें से 4000 कार्य पूरे हो चुके हैं।

14. ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत 70.50 करोड़ रुपये की 28 नगरीय पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं। इन योजनाओं पर 56 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा हुडको से प्राप्त वित्तीय सहायता से 218.18 करोड़ रुपये की लागत की 40 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत शहरी योजनाओं में 20 हजार से कम जनसंख्या वाले 32 नगरों की 35.85 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

15. देश में बिजली की कमी है और राजस्थान भी विद्युत की कमी वाले राज्यों में आता है। निरन्तर सूखे के कारण पन–बिजली के उत्पादन में आई कमी और कृषि क्षेत्र में मांग बढ़ने से इस वर्ष विद्युत की समस्या और भी जटिल हुई है। यही कारण है कि उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप हर सम्भव प्रयास करने के बावजूद उन्हें पूरी विद्युत उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

16. राज्य सरकार ने विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किये हैं। राजस्थान राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, 1999 को, जून 2000 से लागू कर दिया गया है। 19 जुलाई, 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 5 निगमों में विभाजित किया गया है, जिन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

17. राज्य सरकार ने अपनी घोषित नीति के अनुरूप राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि गत दो वर्षों की अल्प अवधि में प्रदेश में विद्युत क्षमता में 750 मेगावाट की वृद्धि हुई है और आज प्रदेश की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता लगभग 4100 मेगावाट हो गई है।

18. सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण में 250 मेगावाट की दूसरी इकाई ने लक्ष्य से 6 माह पूर्व जुलाई, 2000 से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। योजना के द्वितीय चरण की 250 मेगावाट की 2

परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और इन इकाइयों से भी लक्ष्य से 6 माह पूर्व सितम्बर, 2001 और मार्च, 2002 तक उत्पादन मिलना शुरू हो जायेगा। इस परियोजना की 250 मेगावाट की पांचवीं इकाई, जिसकी अनुमानित लागत 770 करोड़ रुपये है, की स्वीकृति भी दे दी गई है और 12 फरवरी, 2001 को इसका शिलान्यास कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

19. सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान निरन्तर कार्यरत है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सौर ऊर्जा से राजस्थान ने 250 गांवों में 6000 से भी अधिक घरेलू बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराकर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण ने अपने परिसर में 5 किलोवाट का संयंत्र स्थापित किया है और इस नवनिर्मित विधान सभा भवन में 25 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान शासन सचिवालय में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जायेगा। प्रदेश में 2.25 मेगावाट की पवन ऊर्जा आधारित परियोजना का चित्तौड़गढ़ जिले के देवगढ़ में मार्च, 2001 में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा लोकार्पण किया गया। तीसरी 2 मेगावाट की फलौदी परियोजना से भी विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। निजी क्षेत्र के प्रथम 3 मेगावाट के पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से भी जैसलमेर में अगले माह में उत्पादन प्रारम्भ होना सम्भावित है।

20. रावतभाटा स्थित आणविक विद्युत गृह की तीसरी और चौथी इकाइयों के सम्पूर्ण उत्पादन को राजस्थान ने 5 वर्ष के लिए क्रय करने का अनुबन्ध किया है। इन दोनों इकाइयों को माननीय प्रधान मंत्रीजी ने 18 मार्च, 2001 को राजस्थान आकर लोकार्पित किया है।

21. प्रदेश में विद्युत के प्रसारण एवं वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए गत 2 वर्षों में 226 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये गये हैं और पूर्व में स्थापित सब ग्रिड स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाया गया है। प्रसारण व वितरण की सुदृढ़ीकरण योजना को क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार व राज्य की योजनाओं के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

22. इन सब प्रयासों के बावजूद प्रदेश में विद्युत की बढ़ती मांग व आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार एकदम से नहीं हो सकता लेकिन विद्युत सुधार कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम आने वाले वर्षों में परिलक्षित होंगे।

23. मैं आपका ध्यान 3 मार्च, 2001 को माननीय प्रधान मंत्रीजी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों एवं ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित

उस संकल्प की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें विद्युत की समस्या के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने की भावना व्यक्त की गई थी। मैं भी सभी से अपील करता हूं कि प्रदेश में विद्युत की कमी में एकजुट होकर इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करें।

24. अगले 2 वर्षों में राज्य में नई सड़कें बनाने के साथ–साथ विशेष रूप से मौजूदा सड़कों के रखरखाव को भी प्राथमिकता दी जायेगी। राष्ट्रीय, राज्य एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धन राशि के अतिरिक्त अगले दो वर्षों में केवल सड़कों के रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण के लिए खर्च किये जायेंगे। निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (बी. ओ. टी.) योजना के अन्तर्गत विशेष प्रयास कर अगले दो वर्षों में निजी निवेश किया जायेगा।

25. राज्य सरकार द्वारा गत पांच माह में निजी निवेश पर आधारित 9 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी लागत लगभग 75 करोड़ रुपये है। राज्य के निजी निवेशकों को समुचित अवसर प्रदान करना, राज्य समृद्धि में सहभागी बनाना सरकार की विकास नीति का अभिन्न अंग है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला सड़कों के लिए अधिक से अधिक बी. ओ. टी. परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास जारी है। राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में कई नीतिगत परिवर्तन किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम का भी गठन किया है।

26. राज्य में निरन्तर तीसरे वर्ष वर्षा के अभाव में सिंचित क्षेत्र में आई कमी से कृषि व कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार को इन स्थितियों का मुकाबला भी मुस्तैदी से करना है।

27. राज्य में अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरी करने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं। इस वित्तीय वर्ष में सिद्धमुख–रतनपुरा वितरिका के लिए 21.43 करोड़ रुपये एवं बिसलपुर वृहद् परियोजना के लिए 106.3 करोड़ रुपये का ऋण नाबार्ड से स्वीकृत कराया गया है। इसके अलावा घग्गर बाढ़ नियंत्रण के इनटेक स्ट्रक्चर निर्माण कार्य हेतु 5.21 करोड़ रुपये की ऋण सहायता नाबार्ड से स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य सरकार ने गंगनहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य करने का निर्णय लिया है। बीकानेर नहर के सबसे अधिक क्षतिग्रस्त भाग जो पंजाब में पड़ता है को प्राथमिकता से आगामी 3 से 4 वर्षों में पूर्ण किया जायेगा।

28. राज्य में सतही जल की उपलब्धता के संबंध में वर्तमान एवं भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राज्य की जल नीति

जारी की गई है। जल संग्रहण, पुनर्भरण एवं परम्परागत जल स्रोत परिवर्द्धन हेतु व्यापक सर्वेक्षण कर एक महत्वाकांक्षी विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना में 1307.81 करोड़ रुपये की लागत के 35761 कार्यों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से इस वर्ष 222 पंचायत समितियों में 58.66 करोड़ रुपये की लागत के 2625 कार्य ग्यारहवें वित्त आयोग सहायता कार्यक्रम के तहत स्वीकृत किये गये हैं। इन्हें 16 जनवरी, 2001 से आरम्भ किया जाकर जून, 2001 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

29. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण का सिंचाई क्षेत्र 5.53 लाख हैक्टेयर है। मार्च, 2000 तक 5.42 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का कार्य पूर्ण हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2000–2001 में परियोजना के द्वितीय चरण में विभिन्न प्रकार की वितरक नहरों के निर्माण द्वारा 19000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

30. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण में खाले निर्माण का कार्य सिंचाई क्षमता के उपयोग हेतु आवश्यक है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि खाले निर्माण के कार्य को गति दी जावे, ताकि सृजित सिंचाई क्षमता का समय पर उपयोग हो सके। वर्ष 2000–2001 में 42 हजार हैक्टेयर में खालों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध जनवरी, 2001 तक 31 हजार 165 हैक्टेयर में खालों का निर्माण किया जा चुका है।

31. राज्य में भूमिगत जल की निरन्तर कमी को ध्यान में रखते हुए इसके कुशलतम उपयोग हेतु जल प्रबन्धन कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फव्वारा सिंचाई, पाइप लाइन एवं बूंद–बूंद सिंचाई कार्यक्रम लिये जा रहे हैं, जिनसे कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्र सिंचित किया जाता है। वर्ष 2000–2001 में 20 हजार फव्वारा संयंत्र कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। क्षारीय एवं लवणीय भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 78,536 टन जिप्सम अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया गया है। अकाल के परिप्रेक्ष्य में चारा उत्पादन कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, जिसके अन्तर्गत एक लाख मिनीकट वितरित किये गये व 2,800 प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

32. राज्य कृषि उत्पाद के समुचित भण्डारण के लिए राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा वर्ष 2000–2001 में समर्थन मूल्य योजना के तहत कृषकों से 2.08 लाख मै. टन गेहूं का क्रय किया, जो गत 23 वर्षों में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा कृषकों को अपनी उपज के पेटे 75 प्रतिशत ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई

है।

33. प्रदेश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये और निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए "सिंगल विण्डो क्लियरेंस" प्रणाली को प्रभावशाली बनाया गया है।

34. इस प्रणाली के तहत लगभग 3842.19 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

35. वर्ष 2000–2001 में माह दिसम्बर, 2000 तक 6 हजार 642 लघु एवं कुटीर उद्योगों का पंजीयन किया गया। इनमें लगभग 118.75 करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोजन और 22 हजार 142 व्यक्तियों को रोजगार मिलना सम्भावित है। इस अवधि में 81 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रस्तुत किये गये जिनमें लगभग 538 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन और 11 हजार 973 व्यक्तियों को रोजगार सम्भावित है।

36. वर्ष 2000–2001 के दौरान राजस्थान वित्त निगम द्वारा लघु व मध्यम उद्योगों को ऋण वितरण के 150 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2000 तक 98.60 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया। निगम द्वारा ऋणी इकाइयों हेतु "इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम" शुरू की गई है, जिसमें ब्याज की दरों में कमी अथवा बकाया राशि के चुकारे की अवधि में समायोजन जैसे विकल्प हैं। अब तक उक्त स्कीम के तहत 200 इकाइयों ने पंजीकरण कराया है। निगम द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों की कार्यशील पूंजी की समस्या के लिए "वर्किंग केपिटल ब्रिज लोन" स्कीम शुरू की गई है। निगम द्वारा अधिग्रहित इकाइयों के बेचान के शीघ्र निपटारे बाबत पृथक से "ए. आर. आर. सी. " अनुभाग शुरू किया गया है तथा करीब 226 अधिग्रहित इकाइयों का बेचान चालू वित्तीय वर्ष में अब तक किया जा चुका है। निगम द्वारा ऋण स्वीकृति की अधिकतम सीमा 2.40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है। गुड बारोअर्स के लिए गोल्ड कार्ड योजना का शुभारम्भ किया गया है तथा उन्हें 48 घंटे में ऋण स्वीकृति एवं ब्याज में भी एक प्रतिशत की रियायत दी गई है। सर्विस तथा अपफ्रंट फीस को 1.5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।

37. अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में व्यक्त किये गये उद्‌गारों को ध्यान में रखते हुए रीको द्वारा औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए अपनी नीतियों एवं प्रक्रियाओं में आमूल–चूल परिवर्तन किया गया है। इस वर्ष 85 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं। यह राशि पिछले वर्ष से शत–प्रतिशत से अधिक एवं पिछले 20 वर्षों में सर्वाधिक है।

38. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, आधारभूत ढांचे के विकास एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित 24 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक इन योजनाओं में कुल 472.79 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये हैं, जिसके मुकाबले कुल 610.82 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

39. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत धौलपुर जिले में 117 एनीकटों के निर्माण हेतु एक विशेष परियोजना स्वीकृत कराई गई है, जिसकी कुल लागत 492.70 लाख रुपये है। इसके अलावा झालावाड़, नागौर, अजमेर, डूंगरपुर एवं दौसा जिले में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु क्रमशः 634.70 लाख, 1159.00 लाख, 460.00 लाख, 828.74 लाख एवं 1533.46 लाख रुपये की विशेष परियोजनाएं तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजी गई हैं।

40. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को संसाधन एवं रोजगार सुलभ कराने के लिए 23 हजार 461 दुकानें निर्मित कराकर 17 हजार 474 दुकानें चयनित गरीब परिवारों को आवंटित की जा चुकी है।

41. मरू विकास कार्यक्रम के तहत "मरू प्रसार रोक" की एक विशेष परियोजना के द्वितीय चरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 4400.00 लाख रुपये की लागत की 176 परियोजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं।

42. विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत प्रति विधायक 20 लाख रुपये के प्रावधान को इसी वित्तीय वर्ष में दुगुना अर्थात 40 लाख रुपये प्रति विधायक किया गया है।

43. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं आश्वासित रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2000–2001 में फरवरी माह तक कुल 171.24 करोड़ रुपये व्यय कर 160.59 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है। इसी भांति इन्दिरा आवास योजना में 36.59 करोड़ रुपये व्यय कर 24 हजार 4 आवासों का निर्माण कराया गया एवं 11277 आवास निर्माणाधीन हैं।

44. विश्व बैंक की सहायता से राज्य के सात निर्धनतम जिलों बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना 25 जुलाई, 2000 से चलाई जा रही है। इस परियोजना की कुल अवधि पांच वर्ष है। प्रथम वर्ष में यह परियोजना 14 विकास खण्डों के 491 ग्रामों में शुरू की गई, जहां लगभग 300 समूह गठित कर तीन हजार लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

45. पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243–जी के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ऊर्जा, जलदाय, समाज कल्याण, कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण विकास, वन एवं महिला बाल विकास विभाग से सम्बन्धित विषयों की कुछ गतिविधियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई हैं।

46. निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उन ग्राम पंचायतों में 2 लाख रुपये तक का एक अतिरिक्त अकाल राहत कार्य स्वीकृत किया जावे। पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्थाई समितियों के गठन का प्रावधान किया है, जिससे इन संस्थाओं में अध्यक्षों के साथ–साथ सदस्यों की भी निर्णय में भागीदारी बढ़े।

47. सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषय को आगामी शैक्षिक सत्र 2001–2002 से लागू करने का नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित हैं, उनमें आगामी सत्र से कक्षा 11 एवं 12 में कम्प्यूटर विज्ञान विषय ऐच्छिक विषय के रूप में तथा कक्षा 9 एवं 10 में कम्प्यूटर साक्षरता प्रारम्भ की जायेगी। सत्र 2003–2004 से कक्षा 9 एवं 10 में कम्प्यूटर शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी।

48. उर्दू शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू अध्यापकों के 600 नवीन पद स्वीकृत किये गये हैं।

49. बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के माध्यम से कक्षा 10 में 75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययन हेतु एक हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि गार्गी पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2000–2001 में 4905 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

50. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं सामान्य वर्ग की सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000–2001 में प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्रारम्भ किया जाकर 15 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है जिसमें प्रति

बालिका 5 हजार रुपये नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

51. वर्ष 2000–2001 में सामान्य शिक्षा में क्रमोन्नत 200 सीनियर सैकण्डरी, 200 सैकण्डरी तथा 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 5 प्रतिशत की दर से संस्कृत शिक्षा विभाग में 10 वरिष्ठ उपाध्याय (सीनियर सैकण्डरी), 10 प्रवेशिका (सैकण्डरी) तथा 50 उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय प्रवेशिका, उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर के क्रमोन्नत किये गये हैं।

52. शिक्षा के सार्वजनीकरण करने के प्रयास में शिक्षा से संबंधित सम्पूर्ण परियोजनाओं का जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर समन्वय कर दिया गया है। अब सम्पूर्ण परियोजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के मार्गदर्शन में एक ही उद्देश्य एवं एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों से नवाचारों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगे।

53. आगामी वर्ष में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श विद्यालय स्थापित किया जायेगा। इन 9184 आदर्श विद्यालयों में विषयवार प्रशिक्षित अध्यापक पदस्थापित किये जाकर कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को विषयवार अध्ययन कराया जायेगा। ये विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के लिए परीवीक्षण, मार्गदर्शन व नवाचार का कार्य भी करेंगे।

54. आगामी सत्र से कक्षा प्रथम एवं द्वितीय में नया पाठ्यक्रम लागू किया जाकर तद्नुसार किताबों का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इन नये पाठ्यक्रमों से न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति सुगम हो सकेगी।

55. राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त-पदों को आगामी सत्र में भरे जाने की योजना है। निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालयों की आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु सहशिक्षा के महाविद्यालयों में 25 लाख रुपये एवं महिला महाविद्यालयों में 10 लाख रुपये संस्था के पास पांच वर्षीय सावधि खाते में जमा रखने की नीति प्रारम्भ की गई है।

56. राज्य में इस वर्ष संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है तथा कुलपति व कुल सचिव की नियुक्ति की जा चुकी है। इसी प्रकार जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

57. निजी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में विशेष प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप राज्य में 9 निजी नये इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ हुए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इंजीनियर्स की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कम्प्यूटर साइन्स एवं सूचना

प्रौद्योगिकी के नये पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं।

58. राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है। योजनाबद्ध रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप एवं "स्वास्थ्य सबके लिये" को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

59. राज्य में "मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष" की अभिनव योजना वर्ष 1999—2000 में आरंभ की गई, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले चयनित व अन्य असहाय व्यक्तियों को हृदय रोग, कैंसर रोग, गुर्दा रोग, अस्थिरोग, थेलेसिमिया आदि की जांच व उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। इस कोष से अब तक 792 चयनित रोगियों के इलाज पर 370 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

60. जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए जनसंख्या संदर्भ केन्द्र के माध्यम से नियमित प्रयास किये जा रहे हैं।

61. राज्य में वर्ष 1999 में बी. पी. एल. मेडीकेयर रिलीफ कार्ड की अनूठी योजना देश में प्रथम बार प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 23 लाख चिन्हित परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिये मेडीकेयर रिलीफ कार्ड का वितरण कराया गया है। अब तक 2 लाख 30 हजार 926 व्यक्तियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई हैं।

62. राज्य में चिकित्सा कर्मियों की मांग एवं निजी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से निजी क्षेत्र में 13 मेडिकल कालेज एवं 19 दन्त महाविद्यालयों को खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। भारत सरकार की ओर से 3 डेन्टल कालेज खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनकी छात्र क्षमता 260 है।

63. राज्य को पोलियो के रोग से मुक्त करने के लिये वर्ष 2000—2001 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 3 विशेष राउण्ड क्रमशः 5 नवम्बर, 10 दिसम्बर एवं 21 जनवरी, 2001 को चलाकर पोलियो की दवाई पिलाई गई, जिससे एक करोड़ 9 लाख 10 हजार 844 बच्चे लाभान्वित हुए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस अवधि में अब तक राज्य में एक भी पोलियो का रोगी नहीं पाया गया। एक अगस्त, 2000 से सम्पूर्ण राज्य में धूम्रपान निषेध कानून लागू किया गया है।

64. राज्य में 23 जुलाई, 1996 के पश्चात् एक भी नारू रोगी नहीं पाया गया। अतः

नवम्बर, 2000 से राजस्थान राज्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नारू मुक्त प्रदेश घोषित किया गया है।

65. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराये जाकर उन्हें स्वावलम्बन की ओर उन्मुक्त करना ही वर्तमान शासन का प्रमुख ध्येय है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष जहां तीन गुणा वृद्धि कर 9 करोड़ रुपये से 27 करोड़ रुपये की राज्य गारंटी प्रदान की गई थी, वहीं इसे इस वर्ष लगभग 5 गुणा कर 42 करोड़ रुपये की राज्य गारंटी प्रदान की है ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्ग, सफाईकर्मी एवं निःशक्त सभी योग्य परिवार अधिक से अधिक ऋण सुविधाएं प्राप्त कर आर्थिक संसाधन जुटा सकें।

66. राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को कृषि योग्य भूमि के आवंटन में 10 हजार रुपये तक का अनुदान उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, जिससे कि कृषि से जुड़े हुए ये परिवार खाद्यान्न उत्पादन कर अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

67. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में भी राज्य सरकार पीछे नहीं है। वृद्ध आश्रमों के संचालन के साथ ही विभिन्न जिलों में देखभाल केन्द्र खोल कर उनकी सेवा की जा रही है। गत वर्षों में जहां मात्र दो लाख लोगों को 100 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही थी, वहीं पिछले वर्ष 5.54 लाख लोगों को तथा वर्तमान वर्ष में 7.73 लाख वृद्ध निराश्रित एवं निःसहाय तथा विधवाओं को 200 रुपये मासिक की पेंशन दी जाकर उनको सम्मानजनक जीवन–यापन का सम्बल प्रदान किया जा रहा है।

68. अनुसूचित जनजाति के बालक, बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से राज्य में सात आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य क्रमशः कुशलगढ़, कोटड़ा, शाहबाद, आबूरोड, खैरवाड़ा, सीमलवाड़ा एवं निवाई में करवाया जा रहा हैं। कुशलगढ़ एवं आबूरोड के आवासीय विद्यालयों के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया है जिन्हें आगामी सत्र से प्रारंभ कर दिया जायेगा।

69. राज्य के सभी 32 जिलों में लैण्ड रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में यह कार्य पूर्ण हो गया है। वर्ष 2002 तक प्रदेश के समस्त भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जायेगा।

70. राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न भूमि आवंटन नियमों का एकीकरण करने का फैसला किया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति,

पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के सार्वजनिक भवन, छात्रावास एवं स्कूल भवन हेतु भूमि निर्धारित सीमा तक निःशुल्क देना सुनिश्चित किया जायेगा।

71. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने एवं काश्तकारों को इसके लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनकी स्वयं की कृषि भूमि में से एक हजार वर्ग मीटर तक भूमि का उपयोग करने पर रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसे उद्योग लगाने के लिए कृषि से अकृषि कार्य के लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

72. राज्य सरकार सैनिक परिवारों के सामाजिक, आर्थिक कल्याण के लिए वचनबद्ध है। आपरेशन विजय (कारगिल) एवं अन्य आपरेशनों में राज्य के अब तक 159 सैनिक, एक अर्द्ध सैनिक शहीद हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी पैकेज के अनुसार 145 विधवाओं, आश्रितों को एक–एक लाख रुपये नकद, 67 को भूमि की एवज में 4–4 लाख रुपये, 33 को भूमि आवंटन एवं कब्जा दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त शहीदों के माता–पिता के नाम एक–एक लाख रुपये की राशि जमा कराई जाकर एक हजार रुपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है।

73. सैनिक कल्याण विभाग ने 360 पूर्व सैनिकों को विभिन्न विभागों में नियोजन दिलाया है। दस हजार 765 पूर्व सैनिकों, विधवाओं को द्वितीय विश्व युद्ध की पेंशन का लगभग 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 962 युद्ध विधवाओं को लगभग 48 लाख रुपये दिये गये हैं।

74. राज्य में लगातार तीसरे वर्ष अकाल से पीड़ित किसानों को सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से "अकाल में सहकारिता आपके द्वार" महाभियान चलाया गया है। इस महाभियान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर एक दिवसीय विकास शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। इन शिविरों में अकाल पीड़ित परिवारों को उचित मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री, खाद, बीज, पशु आहार आदि उपलब्ध कराया जा रहा है।

75. वित्तीय वर्ष 2000–2001 में फरवरी, 2001 तक 807.49 करोड़ की अल्पकालीन साख एवं 187.32 करोड़ की दीर्घकालीन साख सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराई गई है। आगामी वर्ष में 1100 करोड़ रुपये के अल्पकालीन एवं 267.50 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को वितरित किये जायेंगे।

76. राज्य सरकार प्रदेश में शांति, कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। पुलिस बल

को आधुनिक उपकरणों और आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित करने का कार्य हाथ में लिया गया है।

77. पुलिस बल को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को जागरूक बनाने हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

78. राज्य में पुलिस प्रशासन के समक्ष उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के बावजूद गत वर्ष एवं इस वर्ष अब तक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही है। अपराधियों, तस्करों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उनकी गतिविधियों पर निरन्तर कड़ी नजर रखी जा रही है। टोंक, मालपुरा, राजसमन्द एवं झालरापाटन में साम्प्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया गया। पुलिस प्रशासन की तत्परता एवं सूझबूझ से त्वरित कार्यवाही कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। मालपुरा में दर्ज सभी मामलों में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय में चालान पेश किया गया।

79. राज्य पुलिस की सजगता के फलस्वरूप पाक आई. एस. आई. एवं अन्य विघटनकारी तत्वों के मन्सूबे पूरे नहीं हुए। इस वर्ष राज्य में आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई। राज्य की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तारबन्दी, प्रकाश की व्यवस्था होने तथा राज्य पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, इन्टेलीजेन्स एवं विभिन्न केन्द्रीय एजेन्सियों के आपसी समन्वय, सतर्कता के कारण मादक व विस्फोटक पदार्थों की तस्करी तथा बोर्डर क्रासिंग में भारी कमी आई है। सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की 4 घटनाएं हुई जिनमें 3 पाक नागरिकों सहित चार व्यक्ति मारे गये। अवैध रूप से सीमा का उल्लंघन करने पर 17 पाक नागरिक, 106 बांगलादेशी, 117 बर्मी एवं 49 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा तस्करी की 91.220 किलोग्राम हेरोईन के अतिरिक्त चरस, अफीम एवं अन्य विस्फोटक सामान भी जब्त किया गया।

80. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में वर्ष 2000 के दौरान भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने, रिश्वत प्राप्त करने तथा पद का दुरुपयोग करने के 551 अभियोग दर्ज किये, जिनमें से 151 मामलों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनमें 35 अभियोग राजपत्रित व 116 अभियोग अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में से राज्य सरकार द्वारा

210 प्रकरणों में आरोपित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है।

81. नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2000 में 2300 व्यक्तियों को बेसिक एवं सेवा प्रशिक्षण तथा 1056 व्यक्तियों को संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण दिया गया। नागरिक सुरक्षा अग्नि शमन सेवा द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में घटित भयंकर अग्नि दुर्घटनाओं पर काबू पाकर 50.91 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को बचाया गया।

82. कारागार विभाग बंदियों के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में कारागार उद्योग में 22 लाख 94 हजार 410 रुपये का उत्पादन किया गया। बंदियों की शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद एवं मनोरंजन के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्य में नया जेल अधिनियम प्रक्रियाधीन है।

83. महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने अनेक कारगर कदम उठाये हैं। उत्पीड़ित एवं शोषित महिलाओं को अविलम्ब राहत देने, आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से सभी जिलों में जिला स्तरीय सहायता समिति स्थापित है। समितियों को अब तक प्राप्त 2 हजार 589 प्रकरणों में से एक हजार 654 प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है।

84. ग्रामीण महिलाओं में बचत साख गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूह योजना राज्य के समस्त जिलों में चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत अब तक 10 हजार 837 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इस वर्ष 3200 स्वयं सहायता समूह गठित करने का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा 32 लाख 90 हजार 505 रुपये की राशि बचत के रूप में एकत्रित की गई है तथा एक हजार 303 समूहों द्वारा बैंक से ऋण के रूप में राशि प्राप्त कर व्यवसाय में लगाई गई है।

85. राज्य में बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का राज्य में सर्वव्यापीकरण किया गया है। अब यह कार्यक्रम राज्य के सभी 32 जिलों के 237 विकास खण्डों एवं एक लाख से अधिक आबादी वाले 20 शहरों में लागू किया जा चुका है।

86. शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीबों के लिए आवास की विशेष योजना के तहत प्रदेश में "अपना घर" योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवार, अनुसूचित

जाति, जनजाति परिवार, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक लाभार्थी को 10 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रदेश में आगामी तीन वर्षों में गरीबों के लिए 50 हजार मकान बनाये जायेंगे।

87. राज्य सरकार द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों में 15 अगस्त, 1998 तक राजकीय भूमि पर बसी हुई अनधिकृत कच्ची बस्तियों के नियमन का निर्णय लिया गया था। इसके अनुसार राज्य के करीब सभी शहरों में कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अब तक 30 हजार से ज्यादा मकानों का नियमन किया जाकर पट्टे दिये जा चुके हैं। नियमन के साथ–साथ इन कच्ची बस्तियों में विकास कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं।

88. राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने आवासीय, वाणिज्यिक निर्माणों की नियमन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पूरे राज्य में नियमन शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, इससे लोगों को काफी राहत मिली है। स्थानीय निकाय एवं नागरिकों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वर्षों से लम्बित मुकदमों का निष्पादन परस्पर सहमति से करने हेतु स्थानीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर समझौता समितियों का गठन किया गया है। सभी शहरों एवं कस्बों में मास्टर प्लान बनाने के अन्तर्गत 70 प्रतिशत शहरी आबादी के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिये गये हैं। इसके अलावा 2001–2002 में 13 शहरों एवं कस्बों के द्वितीय मास्टर प्लान बनाने का कार्यक्रम है।

89. राज्य सरकार प्रदेश में बाल श्रम समस्या के समूल निराकरण के लिए संकल्पित है। भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से राज्य के जयपुर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर एवं अजमेर में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में स्वीकृत 180 विशेष बाल श्रमिक शिक्षण एवं पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से जोखिमपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत 5–14 वर्ष की आयु सीमा के 9 हजार बाल श्रमिकों को शिक्षा, पूरक पोषाहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं मासिक स्टाईफण्ड की सुविधा से लाभान्वित किया गया है।

90. अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पौने दो करोड़ रुपये के आर्थिक सहयोग से जयपुर के जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न आयु समूहों के 7 हजार 200 बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण, पोषाहार आदि की विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

91. लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा के 81 पदों पर नियुक्तियां की गई। विभाग द्वारा विधि सेवा के 30 पदों पर नियुक्तियां की गई। वित्तीय वर्ष 2000—2001 में राज्य में 30 नवीन न्यायालयों की स्थापना कर दी गई है।

92. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा प्रदेश में बिखरी हुई पुरासम्पदा तथा सांस्कृतिक धरोहर की खोज, सर्वेक्षण एवं प्रचार—प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। 11वें वित्त आयोग द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग को प्रदत्त आर्थिक सहयोग से राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए फोटो डाकूमेन्टेशन, पर्यटक सुविधाओं, इन्टरप्रिटेशन सेन्टर, स्मारकों के संरक्षण, संग्रहालयों के विकास की योजना बनाई गई है।

93. तीर्थंकर महावीर के जन्म कल्याणक के 2600 वें वर्ष को समारोहपूर्वक मनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। हाल ही में समिति की बैठक में राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।

94. राज्य में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण में जन सहभागिता प्राप्त करने एवं स्थानीय लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

95. चालू वित्तीय वर्ष 2000—2001 में 25 हजार 317 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है तथा 241.89 लाख पौधे वृक्षारोपण हेतु वितरित किये गये हैं। राज्य के बाह्य सहायता प्राप्त वानिकी विकास परियोजना एवं इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वनीकरण एवं चरागाह विकास परियोजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मरू क्षेत्र के 10 जिलों में वृक्षारोपण के कार्य 4 वर्ष के लिए 153.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार किये जा रहे हैं। बंजर भूमि विकास हेतु विभाग द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिरोही, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर, बूंदी एवं भरतपुर जिले की सात परियोजनाओं के अन्तर्गत अगले 4 वर्षों में लगभग 48 हजार हैक्टेयर बंजर भूमि में सघन जल संरक्षण कार्य कर क्षेत्र का एकीकृत विकास किया जायेगा। सूखा संभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत 72 जलग्रहण क्षेत्रों की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं पर अगले 4 वर्षों में लगभग 36 हजार हैक्टेयर में सघन जल संरक्षण कर क्षेत्र का एकीकृत विकास किया जायेगा।

96. स्वर्ण जयन्ती समारोह के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2000 में स्वतंत्रता सेनानियों का राज्य स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

97. राज्यकर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने जयपुर के अतिरिक्त समस्त जिलों में एक वृहद् योजना के तहत 1752 राजकीय आवास गृह बनाने का काम हाथ में लिया है, जिसके तहत 2000–2001 में लगभग 900 राजकीय आवास गृह पूर्ण किये जा चुके हैं। इसी प्रकार गांधीनगर, जयपुर में भी 264 आवास गृह निर्माणाधीन हैं, जो आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकेंगे।

98. राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1997 की पशु गणना के अनुसार राज्य में 543.49 लाख पशुधन, 43.41 लाख कुक्कुट सम्पदा तथा 143.12 लाख भेड़ें हैं। भेड़ों की संख्या व उत्पादन में राज्य देश में अग्रणीय रहा है। वर्ष 2000–2001 में 149 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नई नियुक्ति कर उन्हें पशु चिकित्सालयों में लगाया गया।

99. राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर राज्य में 16 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के माध्यम से अमूल पद्धति पर चलाये जा रहे हैं। इस वर्ष डेयरी फेडरेशन ने पहली बार एक दिवस में 12.50 लाख लीटर दुग्ध संकलन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान में राज्य में 4 लाख से भी अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारिता के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सन् 2004 तक प्रतिदिन दुग्ध संकलन को बढ़ाकर 20 लाख लीटर एवं सन् 2010 तक 40 लाख लीटर तक पहुंचाने की कार्य योजना प्रस्तावित है।

100. राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से तीन हजार लोगों को सीधा रोजगार तथा गांवों में ग्राम स्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से 10 हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है।

101. महिला डेयरी समितियों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही पशुपालन व्यवसाय में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। विभिन्न ग्रामों में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए स्वयंसेवी समूहों का गठन किया गया है। सहकारी डेयरियां प्रतिदिन औसतन 1.20 करोड़ रुपये से अधिक का दुग्ध मूल्य भुगतान राज्य के गांवों में पहुंचा कर ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार प्रदान कर रही है। वर्ष 2000–2001 में डेयरी फेडरेशन ने माह

दिसम्बर, 2000 तक 83 हजार 12 मैट्रिक टन स्वनिर्मित पशु आहार का विपणन किया है। वर्ष 1999–2000 में सर्वाधिक पशु आहार उत्पादन एवं विपणन में राज्य का स्थान उत्तरी भारत के राज्यों में प्रथम रहा है।

102. राज्य में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में खनिज विभाग का चौथा स्थान है। राज्य में लगातार पड़ रहे सूखे से खनिज उत्पादन एवं खनिज विकास तथा खनिज आधारित उद्योगों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। राज्य में खनिज उद्योग रोजगार का विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अच्छा साधन है। इससे करीब 4.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

103. विभाग की गतिविधियों में खनिज पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है जिससे नये–नये खनिज भण्डारों का पता लगाया जाता है। चालू वर्ष में विभाग द्वारा किये गये खनिज सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के परिणामस्वरूप जैसलमेर, नागौर तथा जयपुर जिलों के अलग–अलग क्षेत्रों में कुल 5670 लाख टन सीमेन्ट श्रेणी तथा 420 लाख टन केमिकल व उच्च श्रेणी के लाइम स्टोन भण्डारों को प्रमाणित किया गया। झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ तहसील के बसावा–परसरामपुरा क्षेत्र में विभाग द्वारा प्रमाणित किये गये सीमेन्ट श्रेणी के लाइम स्टोन भण्डारों पर आधारित 1.5 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एक बड़ा सीमेन्ट उद्योग स्थापित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं।

104. देश में पहली बार विदेशी कम्पनियों के सहयोग से राजस्थान में खनिज खोज हेतु हवाई सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। इस कार्य में 12 विदेशी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों के सहयोग से कार्य कर रही हैं। हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 360 क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिनका प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

105. प्रदेश में पेट्रोलियम संबंधित कार्य 15 क्षेत्रों में प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग व ऑयल इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। जैसलमेर जिले के तनोट व मनहरा टीबा क्षेत्रों से गैस का उत्पादन कर रामगढ़ स्थित 35 मेगावाट विद्युत संयंत्र को आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के पेट्रोलियम विभाग द्वारा प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग और ऑयल इण्डिया लिमिटेड से गैस का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास जारी है।

106. तीन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भी राज्य में तेल एवं गैस की खोज का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार शैलकेर्न कम्पनी द्वारा वर्ष 1999 में बाड़मेर जिले के गुढ़ामालानी क्षेत्र में दो अन्वेषण कुओं की खुदाई कर अच्छे किस्म के तेल

की खोज की गई है। कम्पनी द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त वर्ष 2001 के दौरान एक अन्वेषण कूप की खुदाई की जायेगी।

107. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 15 आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताएं तय की गई थीं जिनमें प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, पेयजल की पर्याप्त उपलब्धि के लिए पारम्परिक जल स्रोतों का संरक्षण, जन स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना, मुख्य मंत्री रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी सुविधाओं का विकास, ऊर्जा क्षेत्र में आधार तंत्र का विकास, किसानों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता, सूचना का अधिकार, अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना, आदिवासी विकास के लिये निर्धारित वार्षिक बजट का प्रावधान, कम्प्यूटर व तकनीकी शिक्षा, राजस्व प्रशासन को सक्रिय बनाना, स्वच्छ व ज़वाबदेह प्रशासन और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, विमन्दितों व विकलांगों के आर्थिक विकास के लिए अलग से वित्त निगम की स्थापना करना शामिल है। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि इन प्राथमिकताओं की क्रियान्विति सन्तोषजनक रूप से हो रही है।

108. बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित उपलब्धियों के आधार पर राज्य को देश में वर्ष 1999–2000 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

109. सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित सरकारी तंत्र पर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राजस्व क्षेत्र में वर्ष 2002 तक सभी भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जायेगा। वाणिज्यक कर एवं परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इन्टरनेट का प्रचार–प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

110. राज्य में खेलों के विकास एवं खेल सुविधाओं के विस्तार के लिये राज्य सरकार, निरन्तर प्रयत्नशील है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इन्डोर स्टेडियम के निर्माण सहित राज्य के प्रमुख जिला मुख्यालयों पर खेल संकुलों का निर्माण चल रहा है।

111. राज्य सरकार की रीति–नीति, जन कल्याणकारी कार्यों एवं उपलब्धियों के व्यापक प्रचार–प्रसार को और गति देने के उद्देश्य से इस वर्ष सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क एवं इंटरनेट सेवा से जोड़ा गया है। पत्रकारों और साहित्यकारों, लेखकों, कवियों एवं शायरों की सहायता के लिए कल्याण कोष का

गठन किया गया है। इसमें राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है।

112. राजस्थान राज्य के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर 23—24 सितम्बर, 2000 को जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन—2000 का सफल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आशातीत संख्या में देश—विदेश से विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित प्रवासी राजस्थानियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों का अपनी मातृभूमि से भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ़ करने व उनका प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर राजस्थानी फाउण्डेशन बनाने की घोषणा की गई। इस फाउण्डेशन का गठन किया जा चुका है। फाउण्डेशन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों से निरन्तर सम्पर्क बनाने व प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी के प्रयास किये जायेंगे।

113. राज्य सरकार प्रदेश में संवदेनशील, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन देने के लिए कृत संकल्प है। राज्य की गतिविधियों की जानकारी जन साधारण को सुलभ कराने तथा पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 इस 26 जनवरी से लागू कर दिया गया है। इसी प्रकार सीधे जनता से जुड़े 14 विभागों के नागरिक अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं। ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कई विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं।

114. अंत में मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान लगातार तीसरे वर्ष अकाल से जूझ रहा है। हमारे सामने वित्तीय कठिनाइयां हैं। संसाधनों की कमी है। इसलिए ऐसी विषम परिस्थिति में हम सभी मिल जुल कर सूखे की प्राकृतिक आपदा का मुस्तैदी से सामना करें। आने वाले दिन कठिनाइयों से भरे हैं। हमें समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल का प्रबन्ध, पशुओं के लिए चारा, अकाल प्रभावितों को रोजगार और किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करानी है।

115. आइये इस नये भवन में हम सब नया संकल्प लेते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रदेशवासियों के उत्थान की दिशा में नये इतिहास की रचना करें।

116. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे :—

1. राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2001

2. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था

(संशोधन) विधेयक, 2001

3. राजस्थान क्लिनिकल स्थापना (विनियमन) विधेयक, 2001

4. राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001

5. जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2001

6. राजस्थान रेण्ट कंट्रोल बिल, 2001

117. इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी किये जायेंगे :–

1. (अ) वर्ष 2000–2001 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन)

(ब) द्वितीय राज्य वित्त आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन एवं उस पर की गई कार्यवाही का उपःस्थापन

2. वर्ष 2001–2002 के लिए आय–व्ययक अनुमान एवं तत्सम्बन्धी मांगें तथा वर्ष 2001–2002 के लिए लेखानुदान (Vote on Account)

3. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त वर्ष 1999–2000 के लिए विनियोग एवं वित्त लेखे।

4. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त वर्ष 1999–2000 के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन, (राजस्व प्राप्तियां)

5. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त वर्ष 1999–2000 के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन, (वाणिज्यिक)

अंत में मैं ऋग्वेद के ऋचा के भावों में आपके प्रति यह शुभकामना व्यक्त करता हूं :–

समानी व आकृतिःसमाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।

आप सबके उद्देश्य समान हैं, आप सब के हृदयों की धड़कन एकसी प्रेरणा से जुड़ी है, अतः इस कार्य में आपके मानस समान रूप से हित चिंतन करें, जिससे जनहित में आप सबका सहकार मिल सके।

'जयहिन्द'